

राजस्थान सरकार

गृह (गुप-12) विभाग

क्रमांक: प.8(19)गृह-12/कारा/2015

जयपुर, दिनांक :

गृह (गुप-6) विभाग

शासन विभाग

706

24/4/23

—: अधिसूचना :-

राज्य सरकार द्वारा कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम-9, सन् 1894) की धारा-3 की उप धारा (1) सपठित राजस्थान कैदियों के लिए खुली हवा शिविर नियम, 1972 के नियम 2 के खण्ड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागृह, पाली में 05 बंदी क्षमता का निर्मित बंदी खुला शिविर को बंदियों के प्रयोजनार्थ "खुले हवा शिविर" एतद् द्वारा घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. सौम्या झा),

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक बं.शा./जयपुर/21/2022/65309 दिनांक 22.03.2023 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली।
4. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की 02 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, पाली।
6. प्रोग्रामर, गृह (समन्वय) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Saumya Jha  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.04.18 18:25:15 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3652227

